



भारत सरकार/Bharat Sarkar
गृह मंत्रालय/Grih Mantralaya
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011
2/A, Mansingh Road, New Delhi – 110011

सं. 9-27/2018-सीडी (सेन्सस)

दिनांक: 12.11. 2018

भारत की जनगणना 2021 - परिपत्र सं. 3

2021 की जनगणना के लिए नगरीय समूहों का गठन

2021 की जनगणना के लिए ग्रामीण-नगरीय वर्गीकरण का कार्य दिनांक 04.09.2018 के परिपत्र सं. 2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार किया जा रहा होगा। 2021 की जनगणना के लिए नगरों और गांवों की सूची तैयार करने के पश्चात राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में नगरीय समूहों (न.स.) की पहचान का कार्य शुरू किया जाना है।

2. जनगणना 2011 में अपनाई गई नगरीय समूह (न.स.) की संकल्पना 2021 की जनगणना के लिए भी जारी रहेगी। इसके अनुसार, नगरीय समूह निरंतर नगरीय फैलाव से बनता है जिसमें एक नगर और उसके आस-पास के बाह्य विकास अथवा दो या उससे अधिक भौतिक रूप से सटे हुए नगरों और ऐसे नगर आस-पास के बाह्य विकास के साथ अथवा इसके बगैर शामिल होते हैं। कुछ मामलों में किसी सांविधिक नगर के आस-पास रेलवे कालोनियां, विश्वविद्यालय परिसर, बन्दरगाह क्षेत्र, सैनिक शिविर आदि स्थापित हो जाते हैं जो उसकी सांविधिक सीमाओं से बाहर लेकिन नगरों से संलग्न ग्राम या ग्रामों की राजस्व सीमाओं के अन्दर आते हैं। हो सकता है कि ऐसा प्रत्येक क्षेत्र, एक स्वतंत्र नगरीय इकाई होने के मापदण्ड को पूरा न करता हो लेकिन वह अवसंरचना और सुविधाओं के आधार पर निरंतर नगरीय फैलाव (अर्थात बाह्य विकास) के रूप में विद्यमान नगरों के साथ मिलाए जाने का पात्र हो। 2011 की जनगणना के लिए नगरीय समूह की पहचान हेतु निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया जाएगाः

- (क) किसी नगरीय समूह का मूल नगर अथवा इसमें शामिल कम से कम एक नगर आवश्यक रूप से सांविधिक नगर होना चाहिए; और
- (ख) नगरीय समूह (अर्थात इसमें शामिल सभी क्षेत्रों) की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए।
- उपरोक्त आधारभूत मापदण्ड पूरा हो जाने के पश्चात निम्नलिखित संभावित स्थितियों में नगरीय समूहों का गठन किया जाएगाः
 - (i) एक या अधिक बाह्य विकासों वाला सांविधिक नगर जिसके बाह्य विकास सांविधिक नगर की सीमा से बाहर हों, लेकिन सटे हुए ग्राम अथवा ग्रामों की राजस्व सीमाओं के भीतर हों, एक संस्पर्शी नगरीय फैलाव बनाते हों; अथवा
 - (ii) दो या अधिक सटे हुए नगर (जिनमें से कम से कम एक सांविधिक नगर हो), उनके बाह्य विकासों सहित यदि कोई हो, उपरोक्त (i) में दिए गए के अनुसार।

यह सम्पूर्ण नहीं है। अलग-अलग स्थानीय परिस्थितियों में इसी प्रकार के अन्य समूह भी हो सकते है जिन्हें नगरीय समूह माना जा सकता है बशर्ते कि वे एक-दूसरे से सटे होने की बुनियादी शर्त को पूरा करते हों। यह भी संभव है कि नगरीय समूह बनाने वाला क्षेत्र सांविधिक रूप से अधिसूचित मुख्य नगरीय इकाइयों तथा साथ ही नगरीय बाह्य विकासों की सीमाओं में हुए परिवर्तनों के अनुसार एक जनगणना से दूसरी जनगणना में बदल सकता है।

- 4. विगत में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ ग्रामों के भागों को नगर से सटा हुआ न होने के बावजूद इस आधार पर नगरीय समूह में शामिल किया गया था कि भविष्य में वह क्षेत्र नगर के साथ सट जाएगा। यह ठीक नहीं है क्योंकि भविष्य में होने वाले नगरीय फैलाव पर ध्यान दिए बगैर केवल वर्तमान नगरीय फैलाव को ही ध्यान में रखते हुए नगरीय समूह का गठन किया जाना है। अतः बाह्य विकासों को शामिल करते समय विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए तथा किसी नगर के बाह्य विकास और नगरीय समूह का निर्धारण करने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:
 - (i) यदि किसी नगरीय विशेषताओं वाले ग्राम या ग्रामों और किसी नगर की सांविधिक सीमा के बीच में कुछ गैर आबाद क्षेत्र हों तो नगर का नगरीय समूह बनाने के लिए उन ग्रामों को बाह्य विकास नहीं

माना जाना चाहिए क्योंकि बीच में आए गैर आबाद क्षेत्र की वजह से वे नगर के साथ पूर्णतः जुड़े हुए नहीं हैं।

- (ii) यदि किसी मुख्य नगर के समीप कोई नगर है लेकिन वह मुख्य नगर से वस्तुतः जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि किसी मध्यवर्ती ग्रामीण क्षेत्र द्वारा अलग है तो नगरीय समूह बनाने के लिए ऐसे नगरों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें नगरीय समूह तभी माना जाएगा जब मध्यवर्ती ग्रामीण क्षेत्र ऐसी नगरीय विशेषताएं प्राप्त कर लेता है जो उसे बाह्य विकास मानने योग्य बनाती हैं।
- (iii) किसी नजदीकी राजस्व ग्राम का किसी नगर के बाह्य विकास के रूप में निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें अवसंरचना और सुविधाओं के संदर्भ में अपेक्षित नगरीय विशेषताएं जैसे कि पक्का रोड, विद्युत, नल, गंदे पानी आदि की निकासी के लिए जल-निकासी व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थान, डाकघर, चिकित्सा सुविधाएं, बैंक आदि विद्यमान हैं। बाह्य विकास ग्राम या हेमलेट (पुरवा) या गणना ब्लाक जैसी व्यावहारिक इकाई होनी चाहिए तथा सीमाओं एवं अवस्थिति की दृष्टि से उसकी स्पष्ट पहचान होनी चाहिए।
- (iv) किसी ऐसे राजस्व ग्राम के मामले में जिसे पूर्णतया किसी नगर का बाह्य विकास माना जा रहा है, राजस्व ग्राम के कोड नम्बर और नाम का उल्लेख किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए प्राथमिक जनगणना सार के ग्रामीण फ्रेम में कर दिया जाना चाहिए लेकिन उसके आंकड़े सुसंगत नगरीय समूह के अधीन दिए जाएंगे। इसी प्रकार, जब ग्राम के केवल कुछ भाग को ही बाह्य विकास के रूप में नगरीय समूह में सम्मिलित किया जाए तो बाह्य विकास माने गए भाग से संबंधित आंकड़े नगरीय समूह के अधीन प्रस्तुत किए जाएंगे जबिक शेष ग्राम के आंकड़े ग्रामीण फ्रेम में प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (v) जनगणना के समय गणना ब्लाक बनाते समय यह बात ध्यान में रखी जाए कि कोई भी गणना ब्लाक किसी नगर अथवा उसके बाह्य विकास की सीमाओं को नहीं काटे। दूसरे शब्दों में ऐसे बाह्य विकासों के आकार के अनुसार ब्लाक अथवा अलग-अलग ब्लाक्स बनाए जाने चाहिए। इन ब्लाकों को अंतिम चार्ज श्रृंखला के बाद की क्रम संख्या दी जाए ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इन सभी ब्लाकों को संबंधित शहर या नगर के चार्ज रजिस्टरों में दर्शाया जाएगा।
- (vi) कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे नगरीय समूहों को छोड़कर जिनमें नगरीय समूहों की संघटक इकाइयां एक से अधिक जिलों में फैली हुई हैं, यथा संभव यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी नगरीय समूह जिले की सीमा से बाहर न हो। विशेषकर प्रवास सारणियों के सारणीकरण में आने

वाली समस्याओं से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यदि इस प्रकार के कोई नए मामले सामने आएं तो उन्हें इस कार्यालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाए।

- 5. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के साथ तुलनात्मकता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना वांछनीय होगा कि 2011 के नगरीय समूह में शामिल किए गए किसी क्षेत्र को 2021 की जनगणना के लिए अब नगरीय समूह से बाहर न निकाला जाए बशर्ते ऐसा क्षेत्र अब भी सटा हुआ हो।
- 6. नगरीय आंकड़ों के समग्र आकार वर्गीकरण और आंकड़ों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरीय समूह को एक निरंतर नगरीय फैलाव माना जाएगा लेकिन नगरीय समूह की प्रत्येक संघटक इकाई का ब्यौरा जनसंख्या के आंकड़ों के साथ अलग-अलग प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना में अपनाए गए आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण की पद्धित का अनुसरण किया जाएगा।
- 7. नगरों (नगरीय समूहों से भिन्न) की कुल संख्या की गणना करते समय 'नगर' के रूप में माने गए प्रत्येक नगरीय क्षेत्र चाहे वह सांविधिक अथवा जनगणना नगर हो उसे संबंधित श्रेणी में अलग नगर के रूप में गिना जाएगा। जो बाह्य विकास उनकी अपनी विशेषताओं के आधार पर नगर माने जाने के पात्र नहीं हैं उनकी गणना अलग-अलग नगर के रूप में नहीं की जाएगी बल्कि उनकी गणना अन्य सांविधिक नगर के उपांगों के रूप में की जाएगी। मुख्य नगर और ऐसे उपांगों के आंकड़े अनिवार्य रूप से अलग-अलग दिए जाने चाहिए।
- 8. जनगणना प्रभाग द्वारा आंकड़े संसाधन प्रभाग के साथ परामर्श करके नगरीय समूहों के कोड ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा और इन्हें यथासमय भेज दिया जाएगा।
- 9. उक्त अनुदेशों के अनुसार आपके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में नगरीय समूहों का गठन किया जाए तथा संलग्न प्रोफार्मा 1 से 5 में उनके ब्यौरे भरकर इन्हें जनगणना प्रभाग को अनुमोदन के लिए हर हालत में 30 अप्रैल, 2019 तक भेज दें। जनगणना कार्य निदेशालय में प्रस्तावित प्रत्येक नगरीय समूह एवं इसकी संघटक इकाइयों का नज़री नक्शा भी तैयार किया जाए जिसमें रेखांकन और उपयुक्त भू-चिह्नों द्वारा इनकी सीमाओं तथा वास्तविक नगरीय फैलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए और संवीक्षा के लिए इसे प्रोफार्मा के साथ भेज दें। सभी जनगणना कार्य निदेशालय सुनिश्चित कर लें कि चूंकि जनगणना 2021 के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं 31.12.2019 को स्थिर कर दी जाएंगी, अत: नगरीय समूहों को तैयार करने के प्रस्तावों के संबंध में परिवर्तन, यदि कोई है, 15.01.2020 तक जनगणना प्रभाग तक पहुंच जाना चाहिए।

संलग्नक: यथोक्त

istr

(संजय) उप महानिदेशक

सेवा में

सभी जनगणना कार्य निदेशालयों के नियंत्रक अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. सभी प्रभाग प्रमुख, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, भाषा प्रभाग, कोलकाता सहित।
- 2. सचिव (रा.भा.) एवं भारत के महारजिस्ट्रार के निजी सचिव।
- 3. अपर महारजिस्ट्रार के निजी सचिव।
- 4. उप महानिदेशक के निजी सचिव।
- 5. गार्ड फाइल।
- 6. हिंदी अनुभाग।

प्रोफार्मा 1

2011 की जनगणना के वे नगरीय समूह जो कि 2021 की जनगणना में बिना किसी क्षेत्राधिकार परिवर्तन के जारी हैं

क्रम संख्या	नगरीय समूह का	क्या शहर,		में	4				
	नाम और उसकी संघटक इकाइयां	नगर या बाह्य विकास है	शहर/नगर जनसंख्या	की	ग्राम का एमडीडीएस कोड	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	2011 में जनसंख्या	पूर्णत: या अंशत शामिल किए गए ग्राम/हेमलेट/गणन	
					नम्बर/ग्राम के भाग के मामले में उप नम्बर			ब्लाक का नाम	
1	2	3	4		5	6	7	8	

प्रोफार्मा 2

2011 की जनगणना के वे नगरीय समूह जो कि 2021 की जनगणना में 2011 की जनगणना के बाद क्षेत्राधिकार के परिवर्तन के साथ जारी हैं

क्रम संख्या	नगरीय समूह का		2011 में	बाह्य विकास के मामले में निम्न जानकारी लिखें:				
	नाम और उसकी संघटक इकाइयां	नगर या बाह्य विकास है	शहर/नगर की जनसंख्या	ग्राम का एमडीडीएस कोड नम्बर/ग्राम के भाग के मामले में उप नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	2011 में जनसंख्या	पूर्णतः या अंशतः शामिल किए गए ग्राम/हेमलेट/गणना ब्लाक का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	

प्रोफार्मा-3

2011 के किसी ऐसे नगर/बाह्य विकास/ग्राम का नाम जो कि 2011 की जनगणना के पश्चात नगरीय समूह की किसी भी इकाई में शामिल किया गया हो

क्रम संख्या	नगरीय समूह का नाम	उस नगर/बाह्य विकास/ग्राम* का नाम जो कि नगरीय समूह की किसी संघटक इकाई में शामिल किया गया हो		टिप्पणी +
1	2	3	4	5

^{*} कोष्ठक में उल्लेख करें कि क्या नगर/बाह्य विकास/ग्राम है।

⁺ कालम 3 और 4 में उल्लिखित परिवर्तनों को सरकारी अधिसूचना संख्या सहित कालम सं. 5 (टिप्पणी) में दर्शित किया जाए।

प्रोफार्मा-4

2011 की जनगणना के वे नगरीय समूह जो कि 2021 की जनगणना में निकाल दिए जाने के लिए प्रस्तावित हैं

क्रम संख्या	नगरीय समूह का नाम	निकाले जाने के कारण	टिप्पणी +
1	2	3	4

⁺ कालम 3 में उल्लिखित परिवर्तनों के लिए सुसंगत सरकारी अधिसूचना संख्या कॉलम सं. 4 (टिप्पणी) में दी जाए।

प्रोफार्मा 5

2021 की जनगणना के लिए संघटक इकाइयों के नामों सहित पहली बार प्रस्तावित नगरीय समूह

क्रम	नगरीय समूह	क्या शहर,		बाह्य विकास के मामले में निम्न जानकारी लिखें:					
संख्या	का नाम और उसकी संघटक इकाइयां	नगर या बाह्य विकास है	शहर/नगर की जनसंख्या	ग्राम का एमडीडीएस कोड नम्बर/ग्राम के भाग के मामले में उप नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	2011 में जनसंख्या	पूर्णत: या अंशत: शामिल किए गए ग्राम/हेमलेट/गणना ब्लाक का नाम	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	